22.01.2026

मेसर्स रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में प्रेस विज्ञप्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के पूर्व प्रमोटर एवं निलंबित प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 20.01.2026 को गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपी संदीप गुप्ता को आठ दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों के लिए, जिससे उन्हें गलत लाभ हुआ और वर्ष 2015 से 2018 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 236 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ, आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

बैंक धोखाधड़ी से संबंधित जांच:

जांच के निष्कर्षों से पता चला कि ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने व्यवस्थित रूप से बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के काल्पनिक बिक्री दर्ज की थी, जिसमें विभिन्न एंट्री ऑपरेटरों द्वारा संचालित कई फर्जी कंपनियों को 7.42 करोड़ रुपये की कपास-कपड़े की बिक्री और 8.50 करोड़ रुपये की सौर से संबंधित बिक्री शामिल थी। इन लेन-देन के चालान और लेज़र प्रविष्टियाँ जाली और हेरफेर की हुई पाई गईं, जिसमें बकाया शेष राशि और अंतर-विभागीय हस्तांतरण का उपयोग भुगतान की गैर-प्राप्ति को छिपाने के लिए किया गया था। इन कार्यों के परिणामस्वरूप कारोबार में कृत्रिम मुद्रास्फीति हुई और ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों को गुमराह करने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानबूझकर गलत बयानी की गई।

इसके अलावा, जांच से पता चला कि ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक गैर-परिचालन इकाई से 9.23 करोड़ रुपये की ज़ेड.एल.डी. संयंत्र और मशीनों की फर्जी खरीद दर्ज की, जिसका व्यवसाय विवरण, जी.एस.टी. विवरण और एच.एस.एन. कोड इस तरह की मशीनरी आपूर्ति के साथ पूरी तरह से असंगत थे।

ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खातों की जांच से पता चला कि संबंधित पक्ष के लेनदेन के माध्यम से धन का महत्वपूर्ण विचलन हुआ। वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच, ऋण पुनर्भुगतान के बहाने समूह संस्थाओं को लगभग 16.40 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आरआईएल के धन का उपयोग ऋचा कृष्णा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया, जिससे सीआईआरपी के दौरान एक मूल्यवान रोहतक परियोजना को स्थानांतरित कर दिया गया। इसी अवधि में, ऋचा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों को सकल अवमूल्यन पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे आरआईएल को वित्तीय नुकसान हुआ।

सी.आई.आर.पी. और परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित जांच:

जांच में पता चला कि कॉर्पोरेट देनदार की बहुमूल्य संपत्ति को सी.आई.आर.पी. शुरू होने से ठीक पहले दूसरी जगह भेजने में संदीप गुप्ता ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई मुखौटा कंपनियां भी बनाई थीं और उनका उपयोग अलग-अलग समय पर कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति को दूसरी जगह भेजने के लिए किया था।

विवरण इस प्रकार हैंः

आरआईएल का सीआईआरपी दिसंबर 2018 में शुरू हुआ, लेकिन एक अनुमोदित समाधान योजना में विफल रहा, जिसके कारण एनसीएलटी ने 11.06.2025 को परिसमापन का आदेश दिया और एक परिसमापक नियुक्त किया। इसके बाद, आरआईएल को एक चालू चिंता के रूप में बेचने के लिए 16.10.2025 को आरक्षित मूल्य 96 करोड़ रुपये पर एक ई-नीलामी आयोजित की गई, जिसमें कावेरी इंडस्ट्रीज और नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव संघ सफल बोली लगाने वाले के रूप में उभरा। **इस प्रक्रिया में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, अर्थात् आईओबी और यूनियन बैंक को 696 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले 40.29 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 94% कटौती हुई।**

इसके अलावा, तलाशी के दौरान मिले निष्कर्षों और ईडी द्वारा की गई जांच में संदीप गुप्ता, मनीष गुप्ता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आरआईएल की संपत्ति को हड़पने और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को बाधित करने की एक सुनियोजित साजिश का पता चला। जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2018 में, सीआईआरपी शुरू होने से ठीक पहले, ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने छह संस्थाओं को 232 करोड़ रुपये से अधिक की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की, जिन पर संदीप गुप्ता ने हस्ताक्षर किए थे। इन लाभार्थी संस्थाओं के पास सामूहिक रूप से लेनदारों की समिति (सीओसी) में 48.25% मतदान अधिकार थे, जिससे आईओबी और यूनियन बैंक को किसी भी समाधान को स्वतंत्र रूप से संचालित करने या अनुमोदित करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया था। गारंटी का समय और जमाव दिवाला कार्यवाही के दौरान सीओसी नियंत्रण को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर संरचना का संकेत देती है।

जांच के निष्कर्षों से पता चला कि प्रमुख निर्णयकर्ता संदीप गुप्ता ने आरआईएल की पूर्व कर्मचारी सुश्री नेहा सिंह को बेनामीदार के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक शेल कंपनी, मेसर्स सारिगा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीएल) को शामिल किया। समन्वित प्रयासों के माध्यम से, एससीपीएल ने कथित तौर पर लेनदार समिति (सीओसी) में धोखाधड़ी से मतदान अधिकार हासिल किए, जिससे गुप्ता परिवार को सीआईआरपी को अपने पक्ष में रोकने और प्रभावित करने में मदद मिली। जांच के निष्कर्षों से पता चला कि दिवालियापन अवधि के दौरान, संदीप गुप्ता और परिवार ने कथित तौर पर आरआईएल के संचालन पर गैरकानूनी नियंत्रण बनाए रखा, समझौते किए और वैधानिक मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पारिश्रमिक प्राप्त किया। इसके अलावा, सीआईआरपी शुरू होने से ठीक पहले, एक प्रमुख मसूरी परियोजना को एक प्रमोटर-नियंत्रित इकाई को उप-अनुबंधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीआईआरपी अवधि के दौरान लगभग 40 करोड़ रुपये का अपव्यय हुआ। इससे संदीप गुप्ता को पर्याप्त धन को हटाने और सीआईआरपी अवधि के दौरान आरआईएल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण जारी रखने में मदद मिली, जिससे दिवालियापन समाधान प्रक्रिया और लेनदारों के हितों को कमजोर किया गया।

आगे, जांच जारी है।